2012 में बीएसएफ़ के बिदा ले रहे प्रमुख ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ पशु व्यापार को वैध कर देने पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, क्यूंकि यह केवल पुलिस के बस का कार्य नहीं है। तब तक वह व्यापार 2,000 करोड़ का हो गया था, साथ ही मनुष्यों की ज़िंदगी भी दांव पर लगी थीं। उत्तर प्रदेश में यह अवैध कारोबार रु. 10,000 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ तक पहुँच गया है। भारत में 3,000 की कीमत का पशु भारत बांग्लादेश सीमा पार तस्कर को 40,000 की कमाई कराता था। सीमा की दोनों ओर बहुत बड़ी कमाई है। बीएसएफ के द्वारा रु. 3-4 करोड़ की कीमत के पशु जब्त करने के बावजूद पशु तस्कर उन्हीं पशुओं को सीमा शुल्क (कस्टम्स) विभाग की नीलामी से खरीदते रहते हैं। क्यूंकि अब 2023 में इन पशुओं के दाम बढ़कर 70,000 हो गए हैं।

तसवीर सौजन्य: **thehindustanbusinessline.com**

2011 से बीएसएफ ने निर्णय लिया कि वे अब इन तस्करों के उपर गोलीबारी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात् केंद्र सरकार ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे कड़े से कड़े कदम उठाये, ताकि पशुओं की तस्करी पर नियंत्रण आये। तत्पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जनहित याचिका के केस में केंद्र सरकार को प्रदत्त एक निर्देश एवं 2023 में बम्बई उच्च न्यायलय की नागपुर बैंच के द्वारा 4 पशु तस्करों को सख्त सजा देते हुए यह निरिक्षण किया गया कि प्राणियों की भी भावनायें होती हैं। फर्क केवल उनके बोल नहीं पाने का है। वे मूक होने के कारण उनके अधिकार का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। 2023 तक यह अवैध और निर्मम कारोबार अत्यधिक बढ़ चुका है। जनवरी 2024 में बांग्लादेश सीमा सुरक्षा का एक रक्षक सादे कपड़ों में तस्करों के साथ मिलकर उनकी सहायता कर रहा था, जिसकी बीएसएफ की गोलीबारी में चोट लगने से मौत हो गई। इससे यह उजागर हुआ कि बंगलादेश के सीमा रक्षक भी इस घिनौने कारोबार में लिप्त हैं। बी डबल्यू सी ने हाल ही में केंद्र सरकार के विदेश विभाग को इसको रोकने के कड़े कदम उठाने के लिये अनुरोध किया है।

पशुओं की तस्करी गलत बात है, क़त्ल के लिये पशुओं की तस्करी और भी गंभीर घिनौना अपराध है। हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और सत्ता में आसीन महानुभावों को यह सूचित करना चाहिये कि भारत के पशुधन को बांग्लादेश में मांस और चमड़े में परिवर्तित होने से बचाएं।

फार्म IV (कृपया नियम 8 देखें)

करुणा-मित्र समाचार पत्र के स्वामित्व सम्बंधित विवरण –
प्रत्येक फरवरी माह के अंतिम दिवस के बाद प्रकाशित अंक में प्रकाशन आवश्यक विवरण

प्रकाशन स्थल: ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत),
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040 प्रकाशन अवधि: त्रैमासिक।
मुद्रक का नाम: विरल शाह क्या भारत के नागरिक है: हां।
पता: साईप्रेस प्रिंट्स एलएलपी, सर्वे नंबर 37/1, पिसोली गावं, पुणे 411 060
प्रकाशक का नाम: डायना रत्नागर, अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत)। क्या भारत के नागरिक है: हां।
पता: 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
संपादक का नाम: भरत कापडीआ। क्या भारत के नागरिक है: हां। पता: 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो:
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत), 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040

मैं, डायना रत्नागर, एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

हस्ताक्षरित
डायना रत्नागर, (प्रकाशक) दिनांक: 1 मार्च 2024

जैन व्हीगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन व्हीगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। व्हीगन से हमारा तात्पर्य यकहै कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं। निम्नदर्शित व्यंजन आपकी प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) सिस्टम को न केवल बढ़ावा देती हैं, आरोग्यप्रद और स्वादिष्ट भी हैं।

लौकी

लौकी एक ऐसी सब्जी है, जो भारत में उगाई और खायी जाती है, यह जाने बिना कि वह कितनी आरोग्यप्रद हैं। उसके लाभों की सूची के ऊपर गौर करें तो उच्च रक्तचाप और मधुप्रमेह के रोगों में यह काफी प्रभावकारी है। यकृत के कार्य में यह सहायक है, थकान कम करती है, कब्ज़ के खिलाफ लडती है जबकि, मूत्रवर्धक भी है, चिड़चिड़ापन, अजीर्ण और अल्सर में कमी लाती है, तंत्रिका टोनिक के रूप में कार्य करती है और वज़न कम करती है। इसमें थायमीन, विटमिन सी, ज़िंक. लौह एवं मेग्नेसियम भरपूर मात्रा में हैं। कहा जाता है कि इसके पत्तों के जूस से गंजापन कम होता है।

लौकी चना दाल की सब्जी

सामग्री

500 ग्राम लौकी
1/2 कप चना दाल
2 पीस टमाटर
1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/3 छोटी चम्मच सब्जी मसाला पाउडर
1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
2 चुटकी हींग
1/2 चम्मच जीरा
2 पीस तेजपत्ता
1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश किया हुआ
2 चम्मच तेल
नमक स्वाद अनुसार

बनाने की विधि

सभी सामग्रियों को एक जगह पर रख लें। लौकी को छीलकर बारीक काटें और टमाटर को भी बारीक काटें। अब चना दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लें। अब कुकर में लौकी और चना दाल डालें। नमक, हल्दी पाउडर और 1 कप पानी डालकर 2 सिटी बजने तक पकने दें।

कड़ाही में तेल गर्म करें तेल गर्म होते हैं जीरा, तेजपत्ता, हींग डालकर चटकने दें। अब सभी सूखे मसाले डालकर 2 से 3 सेकेंड के लिए मिला लें।

कटे हुए टमाटर डालकर टमाटर को नरम होने तक पकने दें। कसूरी मेथी डालकर मिलायें। अब उबले हुए लौकी और चना दाल डालकर मिक्स करें और चलाते हुए ग्रेवी को गाढ़ा होने तक पकने दें।

सब्जी मसाला डालकर मिला लें। सब्जी में ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली रखें। सब्जी खाने के लिये तैयार है।

इमरती को चाशनी में पर्याप्त फूलने तक डुबोये रखें।

गर्म परोसें।

बी डब्ल्यूसी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर, अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: साईप्रेस प्रिंट्स एलएलपी सर्वे नंबर 37/1, पिसोली गावं, पुणे 411 060

करुणा-मित्र का प्रकाशनाधिकार ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है। प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़ पर मुद्रित किया जाता है, और प्रत्येक बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई), वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर) में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
+91 74101 26541
admin@bwcindia.org **bwcindia.org**

Scan me

नियमित प्रकाशन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष 14 अंक 1 & 2
बसंत-ग्रीष्म 2024
करुणा-मित्र
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

संपादकीय

सभी प्राणी सुखी रहें

तसवीर सौजन्य: एरिक इस्सेली/**shutterstock.com**

अपनी मृत्यु... अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य...।

मौत के स्वाद के चटखारे लेता है, आज का मनुष्य। वैसे इसे मौत से प्यार नहीं, मौत तो सिर्फ स्वाद है, परन्तु मेरा नहीं कुछ इस तरह...!

बकरे का, बकरी का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ। न जाने कितने, बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के... क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा...

स्वाद का कारोबार बन गई है मौत।

मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स। नाम "पालन" और मक़सद "हत्या"। स्लाटर हाउस तक खोल दिये, वह भी आधिकारिक रूप में। वहां आज धड़ल्ले से गली गली में खुले नान वेज रेस्तरां, मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है? मौत से प्यार और उसका कारोबार इस लिए, क्योंकि मौत हमारी नही है।

जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में असमर्थ हैं, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? और वहीं कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होतीं? या उनकी आहें नहीं निकलतीं? और उनकी भावनाएं आहत नहीं होती।

आज डाइनिंग टेबल पर हड्डियां चूसते हुए पिता बच्चों को सीख देता है, बेटा कभी किसी का दिल न दुखाना! किसी की हाय मत लेना! किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए!

बच्चों में झूठे संस्कार डालते पिता को, अपने हाथ में वो हडडी दिखाई नहीं देती, जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले प्राण था, उसकी भी एक माँ थी..., जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बददुआ भी दी होगी।

कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो इच्छाधारी भगवान सिर्फ हम इंसानों की रक्षा के लिए ही अवतार लेंगे?

कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है।

जब कोरोना वायरस मनुष्य के लिए अभिशाप बना तो जानवरों के लिए वरदान साबित हो रहा था। जानवर स्वच्छंद घूम रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे।

उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नज़र आया था। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे थे, जैसे उन्हें नई ज़िंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो।

ध्यान रहे, कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा था। हम सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बाद में हमने घंटियां बजाई, इबादतें की, प्रेयर की और भीख मांगी अपने और अपनों के प्राणों की।

हम धर्म की आड़ में अपने अपने इष्ट के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हैं, कभी दुर्गा मां या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हैं।

कहीं हम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हैं।

कभी सोचा...!!!

मंगलवार को नानवेज नहीं खाता...!!!

आज शनिवार है इस लिए नहीं...!!!

नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता!!!

झूठ पर झूठ.. कभी कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी थी।

कहते हैं कि हम प्रकृति को जो देंगे, प्रकृति हमें वही लौटायेगी। मौतें दीं हमने प्रकृति को, तो मौतें ही लौटी हमारे पास। अब कोरोना नहीं है, परंतु, उसका दिया हुआ सबक तो है हमारे पास। इसे हरहाल में याद रखना है।

प्रकृति के साथ रहें। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें।

भरत कापडीआ
संपर्क: editorkm@bwcindia.org

पशुओं की तस्करी

अन्य देशों से सीमावर्ती राज्यों में पशुओं की तस्करी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसी तस्करी में सीमा रक्षकों की भूमिका संदिग्ध होना पाया गया है। ऐसे माहौल में हम सतर्कता बढ़ाएं, कहती हैं निर्मल निश्चित

तस्करी के दौरान लोरी में क्रूरतापूर्वक ठुंसे गए पशु। *तसवीर सौजन्य:* शैख़ अज़ीज़ुर रहमान

मार्च 2015 से महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर में गौवंश (जिसमें गायों के अतिरिक्त बछड़े, बैल और सांड सम्मिलित हैं) के क़त्ल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

कर्णाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा एवं तमिलनाडु में गायों के क़त्ल के ऊपर प्रतिबंध है, किंतु, बैल और सांड को उनके क़त्ल के उपयुक्त होने का प्रमाणपत्र होने पर क़त्ल करने की छूट है।

हालांकि, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम, पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई प्रतिबंध अस्तित्व में नहीं है। यद्यपि, केरल इसी श्रेणी में आने के बावजूद दस वर्ष से कम आयु के गौवंश का क़त्ल वहां पर नहीं किया जा सकता है।

जिन राज्यों में यह प्रतिबंध अस्तित्व में है, वह बेशक आधार-रेखा है और यह बेहद चिंताजनक है। दुर्भाग्यवश, प्राणियों के क़त्ल के ऊपर लागू प्रतिबंधों में कहीं भी भैंस के मांस का समावेश नहीं है। भैंस के मांस को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कैराबीफ के नाम से जाना जाता है और इसका वैध रूप से निर्यात होता है।

तस्करी

भारत से बांग्लादेश में सडक और जल मार्ग से केवल गायों और अन्य गौवंश (भैंस नहीं) पशुओं का अवैध आवागमन अत्यंत पुरानी समस्या है, जोकि दिनप्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। पशु की तस्करी में धड़ल्ले से बढौतरी हो रही है, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल से। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सीमा से लगकर गौमांस संसाधित करने की और चमड़े की इकाई लगाईं गई है। एक अनुमान के अनुसार तस्करी के द्वारा जानेवाले चमड़े और पशु-मांस का वार्षिक टर्नओवर 25 अरब रुपये है। (जूते के एक निर्माता ने बताया कि भारत में चमडा आयात करने पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता है। बोस्निया, इटली, ताइवान और बांग्लादेश से बेहतर गुणवत्ता का चमड़ा मंगाया जा सकता है। विडंबना यह है कि बंगलादेश यह चमड़ा भारत से तस्करी किये प्राणियों से पाता है।)

इसकी रोकथाम का पहला कदम यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों में पशुओं की तस्करी को रोका जाये।

पशुओं का परिवहन मुख्यतः रेल वेगन से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश से उन्हें बिहार के मार्ग से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा ले जाया जाता हैं।

बी डबल्यू सी को लगता है कि पशुओं के आवागमन रोका जाना चाहिए। इसी कारण से हमने कई मुख्यमंत्रियों को और केन्द्रीय गृहमंत्री और रेलमंत्री को उचित कदम उठाने के लिये लिखित में आवेदन किया है। एक स्वागतयोग्य कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2015 में अपने गेंगस्टर्स अधिनियम में सुधार करते हुए गौहत्या, अवैध कत्लखाने और पशुओं की तस्करी को आपराधिक गतिविधि के रूप में मानकर गंभीर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है। बी डबल्यू सी को इस क़ानून के सख्त अनुपालन की प्रतीक्षा है।

क़त्ल की वैधता

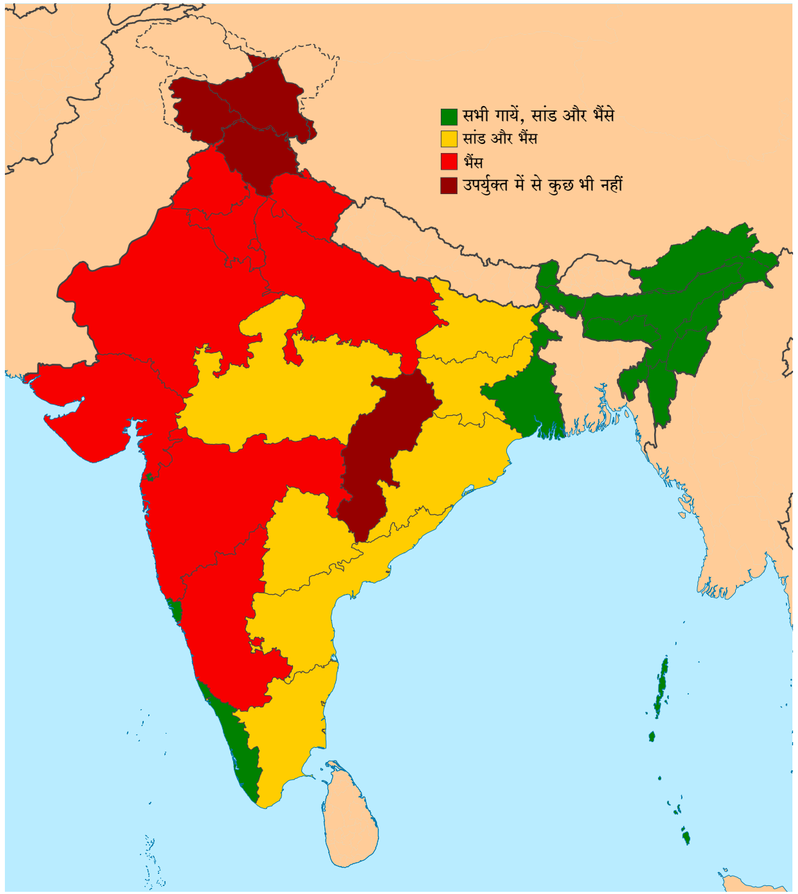

मानचित्र सौजन्य: commons.wikimedia.org

बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य असम एवं पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य हैं, जहाँ से पशुओं को भारत से बाहर ले जाया जाता है। बी डबल्यू सी ने इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विशेष गुहार लगाई है कि वे अपने राज्य में पशुओं के प्रवेश को रोके और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा प्रबंध कड़े करें।

मेघालय सरकार ने प्राणियों के आवागमन के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश सीमा पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 144 लागू की है, जिसके फलस्वरूप उस सीमा से पशुओं की तस्करी कम हुई हो, ऐसा मान सकते हैं।

जून 2009 में बोलपुर स्टेशन (शान्ति निकेतन) में स्थित एक दुकान पर खड़ी बी डबल्यू सी की एक सदस्या ने लोरी के तीनों लेवल में खचाखच भरे बछड़ों को एकदूसरे से बंधे हुए देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि उन बछड़ों को गंगा नदी में फैंक दिया जाएगा और उन्हें जबरन तैरकर बांग्लादेश में जाने को मजबूर किया जाएगा, जहाँ उनको क़त्ल किया जाना है। उस महिला ने बताया कि हालांकि, स्थानीय पुलिस सहानुभूतिपूर्ण होने के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस और स्थानीय राजनेताओं की शरण प्राप्त पशु तस्करों की सांठगाँठ है।

तस्करी के लिये भूमि और जल के विभिन्न परिवहन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पशुओं को बोट में ठुंसा जाता हैं, जबकि अन्यों को डाईक्लोफेनाक सोडियम नामक औषधि के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उनमें अशांत होकर भागने की क्षमता बढ़ जाती है और वे तार की बाड़ के बीच में से खाली जगह में से भागकर देश की सीमा लांघ जाते हैं।

सीमा रक्षकों को तस्करी का भलीभांति पता होता है। उन्हें यह भी पता होता है कि उत्तरी पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम असम के धुबरी जिले के नदी वाले क्षेत्रों में यह गतिविधि अतीव अनियंत्रित रूप से चल रही है। उनके द्वारा पशुओं को जब्त किये जाने के बावजूद अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है।

2011 में ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं सीमा सुरक्षा बल को रोजाना भारत-बांग्लादेश सीमा पर चल रही पशु तस्करी को रोकने के लिये उनकी चौकसी और पशुओं की जब्ती के लिये बधाई दी। हमारा मानना है कि इस विषय में हमारे द्वारा सरकार को बार बार की जाने वाली गुहारों के चलते इन प्रयासों को थोड़ी बहुत सफलता मिली है । परन्तु, दुर्भाग्यवश पशु तस्करी अन्य अवैध व्यापारों के साथ जुड़ी होने के कारण और पशुओं का मुद्रा के एवज में प्रयोग होने से बांग्लादेश की सीमा पर चमड़े के कारखाने और कत्लखानों में हो रही वृद्धि की वजह से कम नहीं हो रही है।

ऐसे समय में बांग्लादेश सरकार ने पशुओं की तस्करी को वैध बनाने का प्रस्ताव रखा। ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी को इसकी भनक लगते ही भारत सरकार को सूचना दी कि इस प्रस्ताव के अनुसार यदि इसे वैध स्वरूप दिया जाता है तो बड़े तस्करों को सहायता मिलेगी- कई सारे रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि इसकी कड़ी अन्य कई सारी चीजों की तस्करी से जुडी हुई है, जिसमें शस्त्र, गोलाबारूद, और आतंकवाद की आर्थिक सहायता तक शामिल है।

अगस्त 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन विषयक विस्तृत समझौता हस्ताक्षरित हुआ। सीमा विषयक अप्रिय मसलों के निपटान के पश्चात् यह आशा की जा सकती थी कि अब सीमा पर होने वाली तस्करी की घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी होगी। तथापि, असम में अवैध घुसपैठ (जिसके कारण गंभीर समस्याएँ पैदा हुई) की संख्या में वृद्धि हुई, फलत: एक वर्ष के पश्चात् राज्य सभा में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाकर बांग्लादेश सीमा के ऊपर पूर्णतया फेन्सिंग(बाड़) बनाने हेतु कदम उठाने की मांग की, जहाँ पर 50 किलोमीटर का क्षेत्र जानबूझकर बिना फेन्सिंग के रखा गया था।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी ने यह भी खोज निकाला कि 2012 की बकरी ईद को क़त्ल किये जा सके इस लिये ऊँटों की तस्करी भी उसी सीमा से की गई थी। हालांकि, तस्करी की उनकी सूचि में गाय सर्वोच्च स्थान पर थी। बी डबल्यू सी ने पुन: गृह मंत्रालय को लिखकर उनका ध्यान इन्डियन एक्सप्रेस (23 अक्टूबर 2012) में प्रकाशित उस सूचनापूर्ण लेख की ओर आकर्षित किया, जिसका शीर्षक था, पशु आसानी से सीमा की फेन्सिंग के पार जाते हैं, तस्करों के लिये सरल हो जाता है, क्यूंकि, वहां पर कोई नहीं होता है। अक्टूबर 2011 तक पश्चिम बंगाल के फालाकाटा और कूच बिहार क्षेत्रों से जब्त किये गये पशुओं की संख्या 11,840 थी। सरहद की दोनों ओर की आपराधिक गतिविधि और तस्करी के नित नये तरीके को देखते हुए यह संख्या नगण्य है। इसका कारण है, बांग्लादेश से लगी हमारी 361.75 कि. मी. लंबी सीमा। जिसमें से विभिन्न कारणों के चलते केवल 197 कि. मी. की सीमा पर ही कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। दिसंबर

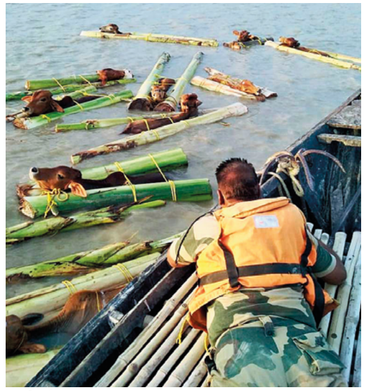

तसवीर सौजन्य: telegraphindia.com